

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2**  
**बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क. 02ए/2016

संस्थित दिनांक-02.01.2015

फा.नंबर-7/2017

- 1.श्रीमती अनुसुईयाबाई आयु 38 साल पति स्व० कमलप्रसाद,
  - 2.भूपेन्द्र आयु 18 वर्ष पिता स्व० कमलप्रसाद,
  - 3.कुमारी माधुरी आयु 15 वर्ष पिता स्व० कमलप्रसाद
  - 4.कुमारी दीक्षा आयु 13 वर्ष पिता स्व० कमलप्रसाद
  - 5.कुमारी मनीशा आयु 11 वर्ष पिता स्व० कमलप्रसाद
- क्रमांक 02 से 05 नाबालिग वली माँ श्रीमती अनुसुईयाबाई  
 पति स्व० कमलप्रसाद तुरकर जाति पंवार, निवासी ग्राम  
 किङ्गीटोला मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....वादीगण

**:: विरुद्ध ::**

- 1.श्रीमती सुलनबाई आयु 51 साल पति स्व० चुन्नीलाल,  
जाति पंवार निवासी किङ्गीटोला मण्डई तहसील बिरसा,
- 2.श्रीमती लक्ष्मी आयु 24 साल पति सुरेन्द्र, जाति पंवार,  
निवासी नेवरगांव तहसील बिरसा,
- 3.अशोकदास आयु 31 साल पिता रामदास टांडिया, जाति पनिका,  
निवासी मोहगांव तहसील बिरसा सभी जिला बालाघाट।
- 4.मध्यप्रदेश शासन द्वारा-कलेक्टर महोदय बालाघाट  
जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।

.....प्रतिवादीगण

**:: निर्णय ::**

**(आज दिनांक-12/07/17 को घोषित किया गया)**

- 1- यह वाद विवादित भूमि खसरा नंबर-8/1 रकबा 3.00 एकड़  
भूमि मौजा किङ्गीटोला, प.ह.नंबर-47 रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला  
बालाघाट के विषय में हक तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2013 के शून्य होने  
की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण संयुक्त परिवार के  
सदस्य है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी क्रमांक की सास एवं वादी क्रमांक

02 से 05 की दादी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से उसके द्वारा विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 02 को विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। वादीगण की मौजा किड़गीटोला, प.ह.नंबर-47 रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर-8/1 रकबा 3.00 एकड़ की भूमि है। विवादित भूमि मूल पुरुष चुन्नीलाल को लमसना विवाह प्रतिवादी क्रमांक 01 से करने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर चुन्नीलाल को लमसना रखने के भाते पर उसके मायके पक्ष से जीवन-यापन करने उसके अधिकार व कब्जे में प्रदान की गई भूमि खसरा नंबर-8/1 रकबा 2.024 हे0 भूमि स्थित थी, खसरा नंबर-8/1 रकबा 3.00 एकड़ भूमि मौजा किड़गीटोला, प.ह.नंबर-47 रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला बालाघाटजसे वादी क्रमांक 01 के पति व चुन्नीलाल ससुर के द्वारा कब्जे व हक में संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में रहकर जीवन-यापन किया गया था। वादी के कब्जे व हक की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा पारिवारिक व्यवस्था के मौखिक तौर पर व बंटवारा के अनुसार वादी को उक्त खसरा नंबर 8/1 में से रकबा 3.00 ए0 भूमि दी गई थी, जिसे वह कमाता था तथा वर्तमान में वह एक संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 01 का पालन-पोषण कर रहा है।

3— उक्त विवादित भूमि पर वादी का पूर्व से ही कास्त व कब्जा रहा है, परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 03 के द्वारा धोखाधड़ी कर पूर्व वादी की कास्त व कब्जे की भूमि परखसरा नंबर-8/1 रकबा 3.00 एकड़ भूमि मौजा किड़गीटोला, प.ह.नंबर-47 रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला बालाघाट प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम होने का फायदा उठाकर वादी की बिना जानकारी के कपटपूर्ण तरीके से पंजीयन कार्यालय बैहर से वादी से चोरी छिपे विवादित भूमि को अपने पक्ष में दिनांक 24.12.2013 को खसरा नंबर 8/1 में से रकबा 2.00 एकड़ भूमि का पंजीयन निष्पादित कर लिया गया है जो कि वादी पर बंधनकारी न होने से शून्य है। विवादित भूमि वादी द्वारा खानदानी संपत्ति होने से वादी के पिता व पति के जीवनकाल से ही कब्जे में रहकर कास्त किया जा रहा था, जिस पर वादी का सद्भाविक हिन्दू परिवार की संपत्ति होने से पूर्ण हक व अधिकार है, जिसे संपूर्ण परिवार की सहमति के

बिना विक्रय नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा वादी क्रमांक 01 के पति स्व० कमलप्रसाद की प्रथम पत्नी की पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 02 का विवाह कार्यक्रम भी उक्त खसरा नंबर 8/1 में से रकबा 2.00 भूमि को विक्रय कर संपन्न किया गया, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 का हक उसे प्राप्त हो चुका है, चूँकि उक्त विवादित भूमि पर वादी का हक व हिस्सा है, जो कि वादी क्रमांक 01 की कुल पांच संताने है, जिनका विवाह व जीवन-यापन के लिये शेष भूमि है।

4— प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उक्त विवादित भूमि की भू-ऋण पुस्तिका वादी के पास होने के बावजूद भी झूठे तथ्यों के आधार पर तहसीलदार बिरसा में आवेदन पत्र पेश कर उक्त भूमि की दोबारा भू-ऋण पुस्तिका विवादित भूमि को विक्रय करने हेतु तैयार की जाकर प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में वादी की बगैर जानकारी के कपटपूर्ण तरीके से विक्रय किया गया है। वादी के कब्जे की संयुक्त परिवार की सहदायिक संपत्ति जिसे मौखिक तौर पर प्रदत्त हिन्दू परिवार की संपत्ति की भूमि का विक्रय पंजीयन कर दिया जाता है तो वादी को अपने हक अधिकार से वंचित कर दिया जावेगा, जिससे वादी को पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर मौखिक अंतरण के द्वारा प्राप्त भूमि से वंचित होना पड़ेगा, जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई होना संभव नहीं होगा। अतः खसरा नंबर— 8/1 रकबा 3.00 एकड़ भूमि मौजा किड़गीटोला, प.ह.नंबर-47 रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 या उसके मुख्तियार के माध्यम से विक्रय या हस्तांतरण करने तथा दखल देने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे।

5— स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 ने यह कहा है कि खसरा नंबर 8/1 की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को उसके मायके से प्राप्त हुई भूमि है, जिसकी पुष्टि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख पंजी से होती है। उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 सुलनबाई को उसके पिता गुजोबा की मृत्यु पश्चात प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि नहीं है। मूल खसरा नंबर 8/1 में रकबा 10.00 ए० भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को बतौर

वारसान मायके से प्राप्त हुई थी, जिसमें से प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने पुत्र कमलप्रसाद के जीवनकाल में ही स्वेच्छा से एवं स्नेहवश रकबा 5.00 एकड़ भूमि उक्त खसरा नंबर से दी गई थी, जिसका खसरा नंबर 8/3 रकबा 5.00/2.023 हे० है। मूल खसरा नंबर 8/1 का बटांक भाग खसरा नंबर 8/3 है, जिसपर वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 01 के पुत्र कमलप्रसाद की मृत्यु के पश्चात वादीगण का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा एवं कोस्त है। उक्त तथ्य वादीगण ने जानबूझकर छुपाकर अनुचित तरीके से प्रतिवादी क्रमांक 01 के हक एवं स्वामित्व तथा मायके के प्राप्त भूमि को प्राप्त करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है।

6— खसरा नंबर 8/1 की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को उसके मायके से विरासतन हक में प्राप्त होने से उक्त भूमि की एक मात्र स्वामी प्रतिवादी क्रमांक 01 है। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित होते हैं, इस कारण हिन्दू विधि के प्रावधान उनपर बंधनकारी है तथा उनके कब्जे एवं स्वामित्व की संपत्ति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रस्तुत व्यवहार वाद में विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को विरासतन हक में मायके से प्राप्त होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के प्रावधान लागू होंगे, जिसमें यह प्रावधान स्पष्ट रूप से वर्णित है कि किसी भी हिन्दू स्त्री को विरासतन प्राप्त भूमि पर एक मात्र उसका ही स्वामित्व, अधिकार व कब्जा होगा तथा वह उसके अंतरण या संकामण के लिये स्वतंत्र होगी तथा उसके द्वारा किये गये या किये जाने वाले अंतरण पर किसी भी प्रकार की रोक या निषेधाज्ञा द्वारा किसी भी सक्षम अधिकारी न्यायालय द्वारा निषेधित नहीं किया जा सकता तथा इसी प्रकार उसके पुत्र/पुत्रियों या अन्य वारसानों द्वारा उसको विरासतन प्राप्त संपत्ति के हक या अधिकार के संबंध में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जो कि आदेश 6 नियम 14 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत आवश्यक है। वादी क्रमांक 02 के शीर्षक में उसकी उम्र-17 साल दर्शाई गई है तथा उसके द्वारा वादपत्र प्रस्तुति दिनांक 02.01.2015 की आदेश पत्रिका से लगातार अपने हस्ताक्षर करते आ रहा है।



7— वादीगण ने आदेश 6 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत बिना संशोधन व अनुमति के वादी क्रमांक 02 के हस्ताक्षर कर गंभीर विधिक त्रुटि की है जो क्षम्य योग्य नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 को वादपत्र में समाहित कर पक्षकारों का कुसंयोजन किया है और उनको अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 04 श्रीमान कलेक्टर बालाघाट को वादीगण ने आवश्यक पक्षकार बनाया है तथा उनसके किसी प्रकार की कोई मांगनी या अनुतोष नहीं चाहा है। वादीगण ने न्यायालय के समक्ष भ्रामक स्थित उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 6अ/14 अनुसुईया बनाम सुलनबाई दिनांक 09.10.2014 को वादीगण ने प्रारूपिक त्रुटि का हवाला देकर वाद का प्रत्याहरण कर लिया है, जिसका हवाला वादीगण ने नहीं दिया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 के विरुद्ध मिथ्या एवं तंग करने की नियत से पेश किया गया है, जिस हेतु वादीगण से प्रतिवादीगण को प्रतिकारात्मक खर्च अंतर्गत धारा 35क व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत राशि 10 हजार रुपये दिलाया जावे। प्रतिवादी क्रमांक 03 को प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने हक एवं हिस्से की भूमि में से भूमि स्वेच्छा से एवं बिना किसी डर दबाव के विक्रय की है तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 सद्भाविक क्रेता है तथा हर बात को जानने के उपरांत ही भूमि कय किया है। प्रतिवादी क्रमांक 03 पर किसी भी प्रकार का कानूनी प्रावधान बंधनकारक नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से यह वाद प्रस्तुत किया है, जिसे निरस्त किया जावे।

8— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण की मौजा किड़गीटोला, प.ह. नंबर-47 रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-8/1 रकबा 3.00 एकड़ भूमि सहदायिकी या संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति होने से वादीगण को उस पर एक मात्र स्वत्व प्राप्त है ?	अप्रमाणित

2.	क्या उक्त विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2013 अवैध होने से प्रभावशून्य है ?	अप्रमाणित
3.	क्या उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	अप्रमाणित
4.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका क्रमांक 16 के अनुसार

### विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-1

9— वादी अनुसुईयाबाई वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वह तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, जिसका पालन-पोषण उसके द्वारा किया जाता रहा है तथा वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी संपत्ति है, जो खसरा नंबर 8/1 रकबा 3.00 एकड़ ग्राम किड़गीटोला में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि मूल पुरुष चुन्नीलाल को प्रतिवादी क्रमांक 01 से लमसना विवाह की शर्त पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर ससुराल पक्ष से प्राप्त हुई थी, जिसका खसरा नंबर 8/1 रकबा 2.024 हेक्टेयर था। उसके पति कमलप्रसाद द्वारा मूल पुरुष चुन्नीलाल के साथ उक्त भूमि के कब्जे व हक में होकर संयुक्त हिन्दू परिवार में रहकर जीवन-यापन किया गया था। पारिवारिक व्यवस्था हेतु मौखिक तौर पर वादीगण को उक्त भूमि में से 3.00 एकड़ भूमि दी गई है, जिसे वह लोग कमा रहे हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में भूमि विक्रय के पूर्व से निवास कर रहे थे।

10— अनुसुईयाबाई वा.सा.01 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर उनका पूर्व से ही कास्त व कब्जा रहा है, परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा धोखा-धड़ीपूर्वक उनके कब्जे व कास्त की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उनकी बगैर सहमति व जानकारी

कपटपूर्ण तरीके से पंजीयक कार्यालय बैहर में दिनांक 24.12.2013 को रकबा 2.00 एकड़ भूमि का पंजीयन बगैर पटवारी से नाप-जोक किये तथा बिना कब्जा प्राप्त किये निष्पादन करवा लिया, जो कि उनपर बंधनकारक नहीं है। उसके द्वारा पति स्व० कमलप्रसाद की प्रथम पत्नी की पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 02 को दो साल की उम्र से ही पाला पोसा गया है तथा उसका विवाह कार्यक्रम भी साक्षी द्वारा ही उक्त खसरा नंबर 8/1 में से 2.00 एकड़ भूमि को विक्रय कर संपन्न किया गया है। जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 का हक उसे प्राप्त हो चुका है। वादग्रस्त भूमि पर केवल वादीगण का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा वादग्रस्त भूमि की ऋण-पुस्तिका के संबंध में झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दोबारा ऋण-पुस्तिका तैयार किया जाकर उनकी सहमति व जानकारी के बगैर कपटपूर्ण तरीके से विक्रय किया गया है, जिसे शून्य ऋणोषित किये जाने हेतु वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। उसने वाद के समर्थन में खसरा वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2013 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.02 तथा पुत्र भूपेन्द्र की स्कूल अंकसूची की मूल प्रति प्र.पी.03 प्रस्तुत की है।

11— प्रतिवादी सुलनबाई प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि उसे पिता गुजोबा के फौत होने के बाद मायके से प्राप्त हुई है, जिसकी पुष्टि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख पंजी से होती है। इस प्रकार उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि नहीं है। मूल खसरा नंबर 8/1 रकबा 10 एकड़ भूमि उसे बतौर वारसान मायके से प्राप्त हुई थी, जिसमें से 05.00 एकड़ भूमि स्वेच्छा व स्नेहवश उसने अपने पुत्र कमलप्रसाद के जीवनकाल में ही दे दिया था, जिसका खसरा नंबर 8/3 है तथा जिस पर वर्तमान में वादीगण का नाम दर्ज है। उभयपक्ष हिन्दू विधि से शासित होते हैं, जिस कारण हिन्दू विधि के प्रावधान उनपर बंधनकारी हैं। वादग्रस्त भूमि उसे विरासतन मायके से प्राप्त है, जिस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 एवं 15 के प्रावधान लागू होंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हिन्दू स्त्री को विरासतन भूमि पर एक मात्र स्वामित्व एवं अधिकार होगा और वह उसके अंतरण अथवा संक्रामण के लिये स्वतंत्र होगी। उसके पुत्र-पुत्रियों या अन्य वारसानों द्वारा उक्त संपत्ति के

संबंध में उसे किस प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। वादीगण द्वारा पूर्व में भी उनके विरुद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 06अ/14 प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 09.10.2014 को प्रारूपिक त्रुटि का हवाला देते हुए प्रत्याहरित कर लिया गया है। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में प्रकरण में कोई जानकारी नहीं दी गई तथा झूठा एवं बनावटी व्यवहार वाद पेश किया गया है। उसने प्रतिवादी क्रमांक 03 को अपने हक एवं स्वामित्व की भूमि बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से विक्रय किया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 सद्भाविक क्रेता है, जिसने संपूर्ण जानकारी के पश्चात् ही भूमि क़य किया है। वादीगण द्वारा मिथ्या वाद उसे तंग करने की नियत से पेश किया है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। उसने जवाबदावे के समर्थन में अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55 की सत्यप्रति प्र.डी.01, पांचसाला खसरा प्र.डी.02 तथा खसरा प्र.डी. 03 पेश किया है।

12— प्रकरण में वादीगण के ही अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को उसके मायके से प्राप्त हुई थी। प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त तथ्य की पुष्टि की गई। अधिकार अभिलेख प्र.डी.01 से गुजोबा की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज होना दर्शित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-14(1)— हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर पारित की जाएगी। जिसका स्पष्टीकरण यह है कि इस उपधारा में “संपत्ति” के अन्तर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है जो हिन्दू नारी के विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण-पोषण के या भरण-पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात् दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क़य अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी कोई सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी।



13— अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त संपत्ति पश्चात् में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में परिवर्तित हो गई। उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादीगण पर है, जिनके द्वारा उक्त संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। मात्र उक्त आधार पर कि वादग्रस्त भूमि पर चुन्नीलाल, कमलप्रसाद तत्पश्चात् वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कास्त किया जा रहा है, वादग्रस्त भूमि के संयुक्त परिवार में होकर भी व्यक्तिगत रह सकती है। वर्तमान प्रकरण में उक्त संपत्ति के अलावा अन्य कोई पारिवारिक संपत्ति भी दर्शित नहीं है तथा स्वयं वादी अनुसुईयाबाई वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके ससुर की पैतृक भूमि नहीं है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत मराबसप्पा(मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य वि० निंगप्पा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य ए.आई.आर.2011 एस.सी.डब्ल्यू. 6050 तथा जी. नारायण राजू (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि वि० जी. चमाराजू एवं अन्य ए.आई.आर.1968 एस.सी.1276 अवलोकनीय है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वर्ष 1954-55 के पश्चात से वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर होना दर्शित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रतिवादी क्रमांक 01 को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा अपने जीवनकाल में इच्छानुसार उपयोग तथा व्ययन करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त संपत्ति सहदायिकी या संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति होने से वादीगण को उस पर एक मात्र स्वत्व प्राप्त है। अतः विवाद्यक क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

#### **विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-02 का निष्कर्ष:-**

14— प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अपनी स्वयं की संपत्ति को प्रतिफल लेकर विक्रय किया गया है जो कि विक्रय पत्र प्र.पी.02 से दर्शित है तथा जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त विक्रय पत्र अवैध होकर प्रभाव शून्य है। वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2013 अवैध होने से प्रभावशून्य है। अतः विवाद्यक क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

**विवादक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-**

15— वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वामित्व की संपत्ति है, जिसका इच्छानुसार उपभोग करने का उसे पूर्ण अधिकार है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में अवैध हस्तक्षेप का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः विवादक क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

**विवादक प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष:-****सहायता एवं व्यय:-**

16— उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद खारिज किया जाता है।

17— वाद व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जावेगा।

18— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सारणी अनुसार जो भी न्यून हों अदा की जावे।  
तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।  
सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर बालाघाट म.प्र.